658/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.10.24	दोनो पक्षो के अधिवक्ता उपस्थित। बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व-रिकॉर्ड एवं दस्तावेजात का गम्भीरता-पूर्वक अवलोकन किया। विचार पाया कि वादीगण की ओर से वाद-पत्र अन्तर्गत धारा 212 RT Act के तहत विवादित आराजी के संबंध में स्वामेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने बाबत इल्तदुआ चाही गई है, जो कि प्रथमदृष्टया तौर पर तय होगा कि वादीगण वांछित अनुतोष प्राप्त करने के हकदार है अथवा नहीं। लेकिन हस्तगत प्रकरण में जारी स्थगन आदेश को यथावत रखना उचित प्रतीत होता है, क्योंकि पक्षकार के मध्य विवाद आगे आगे नहीं बढ़े तथा न्याय निर्णयन में बाधा ~~पैदा~~ नहीं बढ़े। इस कारण स्थगन आदेश यथावत रखना ही न्यायहित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 20.6.2018 को मूल वाद के निर्णय तक बरकरार किया जाता है। पत्रावली ऑनलाइन कार्यवाही होकर नकल के बाद होकर [illegible] हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2024.10.25 16:47:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा 15/10/2024